न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या
51 / 18

तारीख दायरा
14.08.2018

तारीख फैसला
24.10.2018

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द शर्मा (R.A.S.)

उनवान

रामदेव पुत्र गोपाल उम्र 66 वर्ष जाति मेघवाल निवासी भट्टीपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
2. कमला बाई पुत्री गोपाल पत्नी छोटूलाल जाति मेघवाल निवासी भट्टीपुरा हाल जयनगर तहसील अन्ता जिला बांरा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर0टी0एक्ट

उपस्थित – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट प्रतिवादी नं0 2 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम धोरी तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 की संयुक्त खातेदारी आराजी ख0नं0 25 रकबा 0.88 हे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसमें जाति (चमार) बलाई दर्ज है। ग्राम भट्टीपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी खातेदारी आराजी ख0नं0 64 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 65 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 134 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.77 हे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसमें जाति (चमार) बलाई दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 आपस में भाई बहिन है तथा ग्राम धोरी स्थित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 को विरासतन प्राप्त हुई है, जिसमें दोनों का बराबर–बराबर हिस्सा निहित है। विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में जाति (चमार) बलाई दर्ज चली आ रही है। उक्त जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। उक्त शब्द बोलचाल की भाषा में सम्माननीय नहीं होनें से पक्षकारान् अपनी जाति (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करवानें के अधिकारी है। क्योकि (चमार) बलाई जाति भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में ही आती है। ग्रामीण क्षेत्र में वादी की जाति (चमार) बलाई को

0.00 हे0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है, जिसमें जाति

ाल भी कहा जाता है। उक्त कारण से वादी की जाति मेघवाल होनें से ग्राम धोरी हसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 25 रकबा 0.88 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जाति (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल एवं ग्राम भट्टीपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित आराजी ख0नं0 64 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 65 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 134 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.77 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में जाति (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी की जाति मेघवाल के स्थान पर (चमार) बलाई गलत रूप दर्ज होनें के कारण उक्त शब्द बोलचाल की भाषा में सम्माननीय नहीं होनें से वादी को अपमानित होना पडता है। जिससे वादी अपनी जाति (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करवानें का अधिकारी है। राज्य सरकार ने भी सम्माननीय शब्द जोडे जानें के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन जारी किये हुए है। जिससे अनुसरण में पक्षकार अपनी जाति राजस्व रिकॉर्ड में (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करवानें का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 2 वादी की बहिन है तथा उसकी शादी हो चुकी है, जो अपनें ससुराल में ही निवास करती है। प्रतिवादी नं0 2 द्वारा विवादित आराजी में से अपना हिस्सा पूर्व में मौखिक रूप से वादी के पक्ष में त्याग कर चुकी है। प्रतिवादी नं0 2 का अपनें हिस्से की आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जिससे वादी प्रतिवादी नं0 2 हिस्से की आराजी ग्राम धोरी तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 25 रकबा 0.88 हे0 भूमि को धारण करनें का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 10.07.2018 को वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 से जाति बलाई एवं (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज करनें के लिए मौखिक निवेदन किया गया, किन्तु प्रतिवादी नं0 1 द्वारा जाति दुरूस्त करनें से मना करनें पर दिनांक 10.07.2018 को उत्पन्न हुआ।

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– कि ग्राम धोरी तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 25 रकबा 0.88 हे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जाति (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। ग्राम भट्टीपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी खातेदारी आराजी ख0नं0 64 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 65 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 134 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.77 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जाति (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किये जानें व राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। विवादित आराजी ग्राम धोरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0

कबा 0.88 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 2 के निहित हिस्से 1/2 का वादी को खाते
क्त किया जावें। प्रतिवादी नं0 1 को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राज
रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। वाद व्यय व अ
सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

वादी की ओर से दस्तावेजीं साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम धोरी सं0 2073–76 खाता नं0 190
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भट्टीपुरा सं0 2074–77 खाता नं0 33
3. छायाप्रति आधार कार्ड रामदेव
4. शपथ पत्र कमला बाई पुत्री गोपाल पत्नी छोटूलाल उम्र 64 वर्ष जाति मेघवाल निवासी भट्टीपुरा हाल निवास जय नगर तहसील अन्ता

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद की की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, प्रतिवादी नं0 1 ने जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किये कि राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार वादी की जाति मेघवाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा कमलाबाई के हिस्से की भूमि पर वादी का नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार माननीय न्यायालय उचित निर्णय फरमावें।

प्रतिवादी नं0 2 कमला बाई की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री छीतरलाल गोचर का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ साथ ही इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया। इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी नं0 2 ने वाद वादी डिक्री किये जानें का निवेदन किया।

हमनें उभय पक्ष को अपने–अपने साक्ष्य सहादत आदि प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर दिये तथा बाद साक्ष्य हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 विवादित आराजी वाके ग्राम धोरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 25 रकबा 0.88 हे0 भूमि के वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 अभिलिखित सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि ग्राम भट्टीपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 64 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 65 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 134 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.77 हे0 भूमि में से प्रतिवादी नं0 2 अपनें स्वत्व का त्याग जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग से कर चुकी है, तथा नामान्तरकरण सं0 105 दिनांक 22.01.2018 से प्रतिवादी नं0 2 कमला बाई का नाम खाते से खारिज किया जा चुका है। ग्राम भट्टीपुरा स्थित आराजी का वादी तन्हा खातेदार

व रिकॉर्ड से प्रमाणित है, किन्तु ग्राम धोरी एवं भट्टीपुरा स्थित आराजी के राजस्व कॉर्ड में खातेदारान् की जाति (चमार) बलाई अंकित है, जो बोल–चाल की सुसभ्य भाषा की श्रेणी नहीं आती है। खातेदारान् की जाति (चमार) बलाई एवं मेघवाल दोनों जातियां अनुसूचित जाति में आती है। जवाब सरकार में भी जाति मेघवाल दर्ज किये जानें की अनुशंषा की गई है। अतः खातेदारान् की जाति (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रतिवादी नं0 2 कमला बाई के ग्राम धोरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 25 रकबा 0.88 हे0 भूमि में से अपना स्वत्व छोडनें के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं0 2 ने इकबालिया जवाब एवं स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि में से स्वत्व त्यागनें की सहमति प्रकट की है। चूंकि प्रतिवादी नं0 2 द्वारा स्वत्व अपनें भाई वादी रामदेव के पक्ष में त्यागनें की सहमति प्रकट की गई है, जिसमें राजकीय हानि होना प्रकट होता है। वादी से नियमानुसार मुद्रांक शूल्क वसूल किया जाना आवश्यक है, जिससे राजकीय हानि नही हो। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य है।

परिणामतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धोरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 25 रकबा 0.88 हे0 भूमि एवं ग्राम भट्टीपुरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 64 रकबा 0.30 हे0, ख0नं0 65 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 134 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.77 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित जाति (चमार) बलाई के स्थान पर मेघवाल दर्ज की जावें तथा ग्राम धोरी तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 25 रकबा 0.88 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 2 कमला बाई का नाम डिलीट किया जावें। कमला बाई का नाम डिलीट करनें के सम्बन्ध में तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वादी से नियमानुसार मुद्रांक शूल्क (हकत्याग) वसूल कर पालना करें। तद्नुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनॉक 24/10/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद